निर्णय

20.06.2018

पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र चूली पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी अनुपस्थित। वादी द्वारा राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 व 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए अंकित किया कि मौजा झाड़वा पटवार क्षेत्र चूली तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 92/3 रकबा 61.02 बीघा में वादी का 1/2 हिस्सा की खातेदारी की भूमि है तथा अपना-अपना हिस्सा पृथक कर खातेदारी का घोषित करने तथा मौके पर काश्त व कब्जे के अनुसार भूमि का विभाजन किये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया है।

दोनों पक्षों को सुनवाई का समूचित अवसर देने के पश्चात दिनांक 03.06.2016 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा झाड़वा पटवार क्षेत्र चूली तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 92/3 रकबा 61.02 बीघा में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा की भूमि में मौके पर काश्त व कब्जे के अनुसार भूमि विभाजन व लगान का निर्धारण कर प्रस्ताव तहसीलदार बाडमेर को भिजवाने हेतु प्राथमिक डिकरी जारी की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक से मौके के अनुसार भूमि विभाजन का प्रस्ताव दिनांक 20.06.2018 को प्रस्तुत किया।

अतः तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त भूमि विभाजन प्रस्तावानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा झाड़वा पटवार क्षेत्र चूली तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 92/3 रकबा 61.02 बीघा भूमि में पक्षकारान के मध्य भूमि का विभाजन व लगान का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है :-

Scanned by CamScanner

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व वाद संख्या 10/2016 अनवान बंशीलाल बनाम भैराराम

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान	बरंग
1	बन्शीलाल पुत्र कानमल जाति अग्रवाल निवासी बाड़मेर	92/3	30.11	बा.दो.	01.84	हरा
2	भैराराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी कुर्जा खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा भादरेश	92/3	30.11	बा.दो.	01.83	गुलाबी

तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे। निर्णय मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

Scanned by CamScanner